

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-विनोद कुमार(आर.ए.एस.)

दायर दिनांक

04.04.2023

निर्णय दिनांक

24.08.2023

प्रकरण संख्या  
119/2023

उनवान

1. पूरणमल पुत्र रूपलाल जाट निवासी सबलपुरा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा।
2. रूपलाल पुत्र हजारि(धायल) जाट निवासी सबलपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।

— प्रार्थीगण

बनाम

1. बद्री पुत्र रामचन्द्र जाट निवासी हलेड तहसील व जिला भीलवाडा।
2. प्रेम पुत्री रामचन्द्र जाट निवासी हलेड तहसील व जिला भीलवाडा।
3. लाडू पत्नी रामचन्द्र जाट निवासी हलेड तहसील व जिला भीलवाडा।
4. छोटी पुत्री हीरा जाट निवासी हलेड तहसील व जिला भीलवाडा।
5. जगदीश पुत्र हीरा जाट निवासी हलेड तहसील व जिला भीलवाडा।
6. ललिता पुत्री हीरा जाट निवासी हलेड तहसील व जिला भीलवाडा।
7. लाली पुत्री हीरा जाट निवासी हलेड तहसील व जिला भीलवाडा।
8. शंकर पुत्र हीरा जाट निवासी हलेड तहसील व जिला भीलवाडा।
9. सुन्दर पुत्री हीरा जाट निवासी हलेड तहसील व जिला भीलवाडा।
10. सुन्दर देवी पत्नी स्व. कन्हैयालाल जाट निवासी हलेड तहसील व जिला भीलवाडा।
11. सतु पुत्र कन्हैयालाल जाट निवासी हलेड तहसील व जिला भीलवाडा।
12. सुरेश पुत्र कन्हैयालाल जाट निवासी हलेड तहसील व जिला भीलवाडा।
13. गोपाल पुत्र जमनालाल जाट निवासी हलेड तहसील व जिला भीलवाडा।
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

— विपक्षीगण

उपस्थित:-अधिवक्ता प्रार्थीगण पृथ्वीराज चौधरी  
अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम:-

—: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा हलेड प0ह0 हलेड भू अभिलेख निरीक्षक सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2069-2073 के खाता संख्या 830 की अभिलिखत आराजीयात आराजी संख्या 1672/2 रकबा 0.5058 है0 आ0नं0 1681/4 रकबा 0.4426 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.9484 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कटने काश्त की हैं।

और अप्रार्थीगण आराजियात जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जांकर मौके पर स्थाई सीमा-चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आज दिनांक 24.08.2023 को अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के हाजिर नही आने से अप्रार्थीगण के विरुद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया।


उपखण्ड अधिकारी  
भीलवाडा

प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते हैं, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हें आराजियात जैर-बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन(पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तथा तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा हलेड प0ह0 हलेड भू अभिलेख निरीक्षक सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2069-2073 के खाता संख्या 830 की अभिलिखत आराजियात आराजी संख्या 1672/2 रकबा 0.5058 है0 आ0नं0 1681/4 रकबा 0.4426 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.9484 हैक्टेयर भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका व मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। सीमांकन (पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000/- रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 24.08.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(विनोद कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी  
भीलवाडा